

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(20)(2) रानिआ/लेखा/2019-20/

605

दिनांक : 13-1-20

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) झालावाड़।


विषय:- पंचायत चुनाव (सरपंच एवं पंच) 2020 में नियोजित कार्मिकों को दैनिक भत्ते की दरों के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक: प.रा.आ.चु.-2020/लेखा (टीए/डीए)37 दिनांक
13.01.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पंचायत आम चुनाव (सरपंच एवं पंच) 2020 कार्य हेतु सहायक मतदान अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के अलावा अन्य सेवा से संबंधित हो तो, क्या उसे अन्य सहायक मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की तरह दैनिक भत्ता की दर राशि रु. 400/- देय होंगे या 250/- के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त क्रम में आयोग के पत्रांक प.7(4)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/2043 दिनांक 13.06.2019 के द्वारा मतदान दलों के गठन के संबंध में मतदान दल में 4 सहायक मतदान अधिकारियों में से एक सहायक मतदान अधिकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर का कार्मिक नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मतदान दल में सहायक मतदान अधिकारी चतुर्थ यदि चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के अलावा अन्य सेवा से संबंधित कार्मिक को नियोजित किया जाता है तो उन्हें आयोग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3848 दिनांक 07.10.2019 एवं 164 दिनांक 06.01.2020 में वर्णित दैनिक भत्ते की दरों के अनुसार ही राशि रु. 250/- का भुगतान देय होगा।


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव


राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 13-1-20

क्रमांक: प.1(20)(2) रानिआ/लेखा/2019-20/ 606

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।


(नारायण लाल मीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।